फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री अर्जुन सिंह पिता श्री फतेह सिंह नि0 107, केवल कॉम्पलेक्स नवागाम डिन्डोली रोड़ उधना सूरत (गुजरात) **– अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 97/2024**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 07.01..2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ से जरिये पत्र क्रमांक–सूकाअ 05/2024/1935 दिनांक 30.12.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 19(1) के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पर प्रत्यर्थी द्वारा संबंधित प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक/न्याय/2024/1637 दिनांक 15.10.2024 के द्वारा वांछित सूचना उक्त अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत भिजवा दी गयी है। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना के संबंध अपीलार्थी को जरिये उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ कार्यालय के पत्रांक/न्याय/2024/1637 दिनांक 15.10.2024 से सूचित किया गया कि "सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत न्यायालय के प्रकरणों की प्रमाणित प्रतिलिपि दिये जाने का प्रावधान नहीं होने से उक्त न्यायालय के प्रकरणों की प्रमाणित प्रतिलिपि उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत आपको दिया जाना संभव नहीं है। नियमानुसार प्रतिलिपि के लिए आवेदन करें।" अतः लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ द्वारा प्रेषित जवाब/रिपोर्ट अनुसार वांछित सूचना के संबंध में अपीलार्थी को सूचित किये जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** 7/1/25 लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर) राजसमंद	

न्यायालय जिला कलक्टर